UPRN010035032026

न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कानपुर-देहात।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1342/2026

इकराम उम्र 27 वर्ष पुत्र स्व० मुस्लिम, निवासी कटरा पूर्वी, थाना घाटमपुर, जिला कानपुर नगर।

--प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार। --अभियोजनपक्ष।

सत्र वाद सं०-618/2020
अ0सं0-133/2020
धारा- 399,401 भारतीय दण्ड संहिता
थाना- घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर।

दिनांक-22.06.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त इकराम की ओर से मुकदमा अपराध सं०-133/2020 अंतर्गत धारा- 399,401 भारतीय दण्ड संहिता, थाना घाटमपुर, जिला कानपुर नगर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया गया। संबंधित थाने से प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र कमेन्टस आहूत किया गया था परन्तु पूर्व नियत तिथि पर एक अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद आज न्यायालय समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र के कमेन्ट्स प्रस्तुत नहीं है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर को पत्र प्रेषित हो।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत हेतु यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में झूठा, साजिशन व रंजिशन फंसा कर अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें में पूर्व में जमानत पर था। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है, वह मजदूरी करने बाहर चला गया था जिस कारण प्रार्थी हाजिर अदालत नहीं आ सका था। प्रार्थी जब वापस लौटा, उसके बाद तारीखों की जानकारी नहीं हो सकी जिस कारण हाजिर अदालत नहीं आ सका था और उसके विरुद्ध वारंट हो गया। वारंट की जानकारी होने पर स्वयं न्यायालय में हाजिर हो गया है। दिनांक 29.05.2026 से जेल में है। प्रार्थी/अभियुक्त नियत तिथि पर हाजिर अदालत आयेगा, कभी भी चूक नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत की याचना की गयी।

4. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियुक्त के अनुसार वह उक्त मुकदमें में पूर्व से वह जमानत पर है। अभियुक्त के मजदूरी हेतु बाहर चले जाने के कारण वह नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और उसकी अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट कर दिया गया। अभियुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह भविष्य में उपस्थिति के संबंध में व्यतिक्रम नहीं करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में दिनांक 12.06.2026 से जेल में निरूद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

6. प्रार्थी/अभियुक्त इकराम का जमानत प्रार्थना पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता हैः-

क. प्रार्थी/अभियुक्त इकराम को निर्देशित किया जाता है कि वह मुबलिग 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) के स्वबंध पत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करे।

ख. प्रार्थी/अभियुक्त इस आशय की अंडर टेकिंग दाखिल करे कि वह न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा व न्यायालय की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

दिनांक-22.06.2026

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कानपुर-देहात।